

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी  
 बइजलास - डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)  
 राजस्व वाद सं. 21/2020

वादीगण

1. श्रवण कुमार पुत्र भंवरलाल
2. सतपाल पुत्र भंवरलाल
3. राकेश पुत्र भंवरलाल
4. मूर्ति पुत्री भंवरलाल
5. विमला पुत्री भंवरलाल
6. मूमल पत्नि स्व. भंवरलाल  
सभी जाति विश्नोई  
निवासी जम्भसागर भीयासर  
हाल निवासी कलाली  
तहसील रोहट जिला पाली
7. लक्ष्मणराम पुत्र हेमाराम  
विश्नोई निवासी जम्भसागर  
भीयासर तहसील फलोदी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र  
जाति विश्नोई निवासी जम्भसागर  
भीयासर तहसील फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई.  
बैंक शाखा रोहिट जिला पाली
3. श्रीमान तहसीलदार फलोदी
- 4.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. काश्तकारी अधिनियम

व्यवस्थापित :-

श्री गंगाराम प्रजापत अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय


दिनांक :- 18/10/2022

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलोदी को विभाजन प्रस्तुत करने के लिए तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार फलोदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमती प्रदान की। प्रतिवादीगण की ओर से कोई व्यवस्थापित नहीं। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री घोष्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम जम्भसागर पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 1219 में श्रवणकुमार का 5/18 हिस्सा, सतपाल का 1/9 हिस्सा, राकेश का 1/9 हिस्सा, मूर्ति, विमला, मूमल तीनों का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा रखा जाता है, सम्पूर्ण रकबा 0.0486 हैक्टर हिस्सा किस्म गै.मु., खसरा संख्या 1220 में से वादीगण संख्या 01 का 0.3237 हैक्टर हिस्सा किस्म बी-4, खसरा संख्या 1220 में से प्रतिवादीगण संख्या 01 का 4.0981 हैक्टर हिस्सा किस्म बी-4, खसरा संख्या 1220 में श्रवणकुमार का 27186/78240 हिस्सा, सतपाल का 6776/78240 हिस्सा, राकेश का 27186/78240 हिस्सा, मूर्ति व विमला प्रत्येक का 6777/78240 हिस्सा, मूमल का 3539/78240 हिस्सा रखा जाता है, सम्पूर्ण रकबा 7.8240 हैक्टर हिस्सा किस्म बी-4, खसरा संख्या 1269 में से प्रतिवादीगण संख्या 01 का 2.7330 हैक्टर हिस्सा किस्म बी-3, खसरा संख्या 1269 में श्रवणकुमार का 4555/54659 हिस्सा, सतपाल का 31884/54659 हिस्सा, राकेश का 4555/54659 हिस्सा, मूर्ति, विमला व मूमल प्रत्येक का 4555/54659 हिस्सा रखा जाता है, सम्पूर्ण रकबा 5.4659 हैक्टर किस्म बी-3, माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय नजरी नक्शा में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिव हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)  
 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
 मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलोदी

डिगरी बमुकदमें इबादाई  
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी  
बड़जलास डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

| वादी                         | बनाम | प्रतिवादीगण                           |
|------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1. श्रवण कुमार पुत्र भंवरलाल |      | 1. सुरजाराज पुत्र रामचन्द्र           |
| 2. सतपाल पुत्र भंवरलाल       |      | जाति विश्णोई निवासी जम्भसागर          |
| 3. राकेश पुत्र भंवरलाल       |      | भीयासर तहसील फलोदी                    |
| 4. मूर्ति पुत्री भंवरलाल     |      | 2. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक |
| 5. विमला पुत्री भंवरलाल      |      | शाखा रोहित जिला पाली                  |
| 6. मूमल पत्नि स्य. भंवरलाल   |      | 3. श्रीमान तहसीलदार फलोदी             |
| समी जाति विश्णोई             |      | 4.                                    |
| निवासी जम्भसागर भीयासर       |      |                                       |
| हाल निवासी कलाली तहसील रोहत  |      |                                       |
| जिला पाली                    |      |                                       |
| 7. लक्ष्मणराम पुत्र हेमाराम  |      |                                       |
| विश्वोई निवासी जम्भसागर      |      |                                       |
| भीयासर तहसील फलोदी           |      |                                       |

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 21/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री गंगाराम प्रजापत अधिवक्ता मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जम्भसागर पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 1219 में श्रवणकुमार का 5/18 हिस्सा, सतपाल का 1/9 हिस्सा, राकेश का 1/9 हिस्सा, मूर्ति, विमला, मूमल तीनों का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा रखा जाता है, सम्पूर्ण रकबा 0.0486 हैक्टर हिस्सा किस्म गै.मु. खसरा संख्या 1220 में से वादीगण संख्या 01 का 0.3237 हैक्टर हिस्सा किस्म बी-4, खसरा संख्या 1220 में से प्रतिवादीगण संख्या 01 का 4.0981 हैक्टर हिस्सा किस्म बी-4, खसरा संख्या 1220 में श्रवणकुमार का 27186/78240 हिस्सा, सतपाल का 6776/78240 हिस्सा, राकेश का 27186/78240 हिस्सा, मूर्ति व विमला प्रत्येक का 6777/78240 हिस्सा, मूमल का 3539/78240 हिस्सा रखा जाता है, सम्पूर्ण रकबा 7.8240 हैक्टर हिस्सा किस्म बी-4, खसरा संख्या 1269 में से प्रतिवादीगण संख्या 01 का 2.7330 हैक्टर हिस्सा किस्म बी-3, खसरा संख्या 1269 में श्रवणकुमार का 4555/54659 हिस्सा, सतपाल का 31884/54659 हिस्सा, राकेश का 4555/54659 हिस्सा, मूर्ति, विमला व मूमल प्रत्येक का 4555/54659 हिस्सा रखा जाता है, सम्पूर्ण रकबा 5.4659 हैक्टर किस्म बी-3, माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।  
वसूली यावी तक बसबत मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 16 सन 2020 जारी की गई।

दस्तखत

सहायक कलक्टर एवं कायपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

| मुहर                 | रुपया | पैसे | मुदायला              | रुपया | पैसे |
|----------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| अर्जी दावा स्टाम्प   | -     | -    | अर्जी दावा स्टाम्प   | -     | -    |
| वकालतनामा            |       |      | वकालतनामा            |       |      |
| स्टाम्प वजह सबूत     |       |      | स्टाम्प वजह सबूत     |       |      |
| मेहनतनामा वकील       |       |      | मेहनतनामा वकील       |       |      |
| खर्चा गवाहान         |       |      | खर्चा गवाहान         |       |      |
| फीस कमीशनर           |       |      | फीस कमीशनर           |       |      |
| बाबत इजराय हुक्मनामा |       |      | बाबत इजराय हुक्मनामा |       |      |
| मिजान                |       |      | मिजान                |       |      |

नोट- इस खर्च के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।